

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

प्रशासनिक आदेश सं० 131 /2021

1. प्रभारी अध्यक्ष कोविड-19 प्रिवेन्शन समिति, सुलतानपुर की आख्या दिनांकित 27.04.2021 का अवलोकन किया। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश में कार्यरत सेशनस क्लर्क श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम में कार्यरत आशुलिपिक श्री श्याम यादव, न्यायालय सिविल जज (अ0ख0) दक्षिणी, कक्ष सं० 24 में कार्यरत आशुलिपिक सुश्री कुसुमा देवी एवं न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 7 में नियुक्त आफिस प्यून श्री कुलदीप कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। उक्त कर्मचारीगण का इस जजशिप में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिवक्तागण के सम्पर्क में आना प्रबल रूप से सम्भावित है, जिसके कारण न्यायालय परिसर को माननीय उच्च न्यायालय के सुसंगत परिपत्र एवं शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन इत्यादि हेतु 48 घण्टे के लिये न्यायालय बन्द किया जाना आवश्यक है।
2. माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं० 1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, Dated : 05 April 2021 के बिन्दु सं० 8 में निर्देशित किया गया है कि "Where the District Administration/C.M.O. concerned is of the opinion that the District/Outlying Court campus should be closed for a particular period and/or the District Judge/Principal Judge, Family Court, Presiding Officer, Commercial Court/Land Acqui. Rehab & Resettlement Authority/Motor Accident Claims Tribunals concern is of the opinion that the District Court/Outlying Court should be closed for particular period, then the District Court/Outlying Court may be closed for the said period and an intimation mentioning the specific reasons may be sent to Allahabad High Court."
3. मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के पत्रांक 356/पाँच-5-2021 दिनांकित 02-03-2021 के अनुसार कार्यस्थल को विसंकमित करने के 48 घण्टे के पश्चात उक्त स्थल पर फिर से कार्य शुरू किया जा सकता है। शासन के निर्देशानुसार न्यायालय परिसर में साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन इत्यादि कराना आवश्यक है।
4. अतः प्रभारी अध्यक्ष कोविड-19 प्रिवेन्शन समिति, सुलतानपुर की आख्या दिनांकित 27.04.2021, माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश व सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों के दृष्टिगत दीवानी परिसर सुलतानपुर में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से न्यायालय परिसर बन्द कर जनपद न्यायालय, सुलतानपुर के सम्पूर्ण परिसर, न्यायालय, कार्यालय तथा अधिवक्ता शेड का पूर्ण सैनिटाइजेशन कराया जाना अति आवश्यक है। अतः दीवानी न्यायालय सुलतानपुर में न्यायिक कार्य उक्त अवधि अर्थात् 48 घण्टे (दिनांक 28.04.2021 एवं 29.04.2021) के लिये बन्द किया जाता है। वाह्य न्यायालय



कादीपुर व मुसाफिरखाना पूर्ववत् खुले रहेंगे। सम्बन्धित कोरोना पॉजिटिव कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं को नियमानुसार होम आइसोलेशन में रखना सुनिश्चित करें तथा कर्मचारीगण, अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण जो उक्त कर्मचारीगण के सम्पर्क में आये हों, वे भी अपना कोविड टेस्ट कराकर अधोहस्ताक्षरी को दो दिन के अन्दर अवगत करायें।

5. उक्त कार्यदिवसों में घोषित अवकाश के दिनों में लम्बित पत्रावलियों के सम्बन्ध में सत्र न्यायालयों में रिमाण्ड कार्य हेतु श्री पी0के0 जयन्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 09, सुलतानपुर तथा मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लम्बित पत्रावलियों के सम्बन्ध में रिमाण्ड कार्य हेतु सुश्री श्रद्धा लाल, अपर सिविल जज (अ0ख0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0 27, सुलतानपुर को अधिकृत किया जाता है।


6. जिलाधिकारी सुलतानपुर, मुख्य चिकित्साधिकारी सुलतानपुर, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सुलतानपुर, न्यायालय परिसर के समस्त न्यायालय/कार्यालय, विश्राम कक्ष/परिसर, आशुलिपिक कक्ष एवं अधिवक्तागण के बैठने के स्थान/अधिवक्ता शेड का सम्पूर्ण सैनिटाइजेशन राज्य एवं केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सैनिटाइजेशन कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रभारी अधिकारी नजारत, केन्द्रीय नाजिर व सहायक नाजिर सुलतानपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे इस कार्य को अपनी देखरेख में कराया जाना सुनिश्चित करें। केन्द्रीय नाजिर/सहायक नाजिर के सक्रिय देख-रेख में सैनिटाइजेशन का कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त वे प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष न्यायालय खुलने के पूर्व आख्या प्रस्तुत करेंगे।

7. सत्र न्यायालयों में दिनांक 28.04.2021 एवं 29.04.2021 को लम्बित अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्रों में क्रमशः दिनांक 10-05-2021 व 11-05-2021 की तिथि नियत की जाती है। नियमित जमानत प्रार्थना पत्रों में क्रमशः दिनांक 13-05-2021 व 17-05-2021 की तिथि नियत की जाती है। सत्र न्यायालयों में लम्बित अन्य वादों में क्रमशः क्रमशः दिनांक 24-05-2021 व 25-05-2021 की तिथि नियत की जाती है। मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लम्बित वादों में क्रमशः दिनांक 24-04-2021 व 25-04-2021 की तिथि नियत की जाती है। मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लम्बित जमानत प्रार्थना पत्रों में दिनांक क्रमशः दिनांक 13-05-2021 व 17-05-2021 की तिथि नियत की जाती है। सिविल जज (प्र0ख0) व सिविल जज (अ0ख0) में लम्बित वादों में दिनांक क्रमशः दिनांक 26-05-2021 व 27-05-2021 की तिथि नियत की जाती है। समस्त न्यायालयों में उक्त तिथियों में बहस हेतु लम्बित मुकदमों में क्रमशः दिनांक क्रमशः दिनांक 20-05-2021 व 21-05-2021 की तिथि नियत की जाती है।

8. सिस्टम ऑफिसर जनपद न्यायालय सुलतानपुर इस आदेश को जनपद न्यायालय सुलतानपुर की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।


9. सूचना माननीय उच्च न्यायालय व माननीय प्रशासनिक न्यायगूर्ति को प्रेषित की जाये।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।


27.4.21
जिला न्यायाधीश
सुलतानपुर।
27.04.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सुलतानपुर।
2. जिलाधिकारी सुलतानपुर।
3. जिलाधिकारी अमेठी।
4. पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, अमेठी।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, सुलतानपुर।
7. अधीक्षक जिला कारागार, सुलतानपुर।
8. बार एसोसिएशन, सुलतानपुर।
9. बार एसोसिएशन, कादीपुर।
10. बार एसोसिएशन, मुसाफिरखाना।
11. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
12. सिस्टम आफिसर को जिला न्यायालय की वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


971519097
प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय
सुलतानपुर।
27.04.2021